तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील संख्या 134/2020 त्रिलोक चंद अग्रवाल बनाम शान्ति देवी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
31-01-2023	वकील उभयपक्ष उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई अपील में चल रही कार्यवाही के दौरान वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा दो अलग-अलग प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2022 व 06.12.2022 को अपील के मैन्टनेबल नहीं होने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक आपत्ति के प्रस्तुत किए गए। वकील रैस्पोडेन्ट ने अपील के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर समुचित निर्णय किए जाने की इस्ततदुआ की गई। वकील अपीलान्ट की ओर से रैस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील रैस्पोडेन्ट ने रैस्पोडेन्ट संख्या 1 व 11 की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति के बारे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2022 एवं अन्य रैस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 06.12.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 16.10.2017 के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील पेश की गई है, जो कि गलत है तथा अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं है। जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा उक्त आदेश न तो अपने मूल न्यायिक निर्णय के अधिकारिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है और न ही राजस्थान भू-राजस्व निष्कान्त कृषि भूमि के आवंटन नियम 1963 तथा संशोधित नियम 2005 के अन्तर्गत पारित किया गया है। वरन् उक्त आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की खण्डपीठ द्वारा स्पेशल अपील (रिट) नंबर 113/1997 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 की पालना में पारित किया गया है। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने जिला कलक्टर भरतपुर को यह आदेश दिए थे कि विवाद चूंकि पिछले 30 वर्ष से लम्बित है। इसलिए इस विवाद के विषय में जिला कलक्टर भरतपुर 3 महीने के अन्दर जांच पूरी करे और जो निर्देश/आब्जरवेशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय दिनांक 24.10.1996 में दिए गए हैं, उसके अनुसार आवश्यक आदेश पारित करें। उक्त निर्णय में यह भी निर्देश दिये गये थे कि यदि ऐसे आदेश से कोई पक्षकार व्यथित होता है तो वह उचित उपचार, उचित फोरम के समक्ष कानून के अनुसार जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 की पालना में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उभयपक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, उनके समक्ष प्रस्तुत हुए रिकार्ड व दस्तावेजात की विधिवत जांच व परीक्षण करने के बाद आदेश दिनांक 16.10.2017 पारित किया है। यद्यपि जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 16.10.2017 में उक्त नियमों का उल्लेख संदर्भ हेतु दिया गया है, परन्तु इन नियमों में भी जिला कलक्टर की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट द्वारा एक याचिका नंबर 2928/1991 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई थी। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनांक 24.10.1996 को निर्णय पारित किया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ की ओर से पारित आदेश दिनांक 24.10.1996 के विरूद्ध वर्तमान अपीलान्ट द्वारा कैलाश चन्द वगैराह बनाम रमेश चन्द तिवारी वगैराह के शीर्षक से स्पेशल अपील रिट नंबर 113/1997 पेश की गई थी। जिसमें	
पढ़ 31.1.2023 संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 134/2020 त्रिलोक चंद अग्रवाल बनाम शान्ति देवी वगैरहा
11.01.2023	माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 11.02.2009 को निर्णय पारित किया गया था। जिसमें जिला पुनर्वास अधिकारी, भू प्रबंध अधिकारी, भू प्रबंध आयुक्त व राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर जिला कलक्टर भरतपुर को प्रकरण की नए सिरे से जांच व परीक्षण करने के बाद निर्णय पारित करने के निर्देश दिए गए थे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा एक स्पेशल लीव टू अपील (सिविल नंबर 20306/2009 कैलाश चन्द वगैराह बनाम रमेश चन्द वगैराह) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी थी। जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2011 को खारिज कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.1996 एवं खण्डपीठ की ओर से पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 यथावत रहे जो कि वर्तमान में भी प्रभावी है। इन आदेशों की पालना में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा जांच की गई है। और जांच करने के बाद दिनांक 16.10.2017 को एक प्रशासनिक निर्णय पारित किया गया, जो कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत पारित नहीं किया गया है। इसलिए अदालत हाजा में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील मेन्टेनेबल नहीं है और न ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 के अनुसार अदालत हाजा उचित फोरम ही है, क्योंकि जिला कलक्टर द्वारा उक्त आदेश भू राजस्व अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत पारित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर को यह आदेश या निर्देश भी नहीं दिए गए कि वे किसी विशेष एक्ट के प्रावधान के तहत प्रदत्त अधिकारों की हैसियत से जांच करें या किसी विशेष अधिनियमों के प्रावधानों के तहत जांच या परीक्षण करें। जिला कलक्टर भरतपुर ने अपनी प्रशासनिक पदीय हैसियत में कलक्टर को निर्देशित शक्तियों के अलावा अन्य किसी विशेष (विशिष्ट) पदीय हैसियत में न तो जांच की है और न ही कोई आदेश किसी विशेष कानून के तहत पारित किया है। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर को प्रार्थना पत्र संख्या 65/2009 प्रस्तुत किया गया था। जो कि भू राजस्व अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि वर्तमान अपीलान्ट के पक्ष में विवादित आराजी सम्बन्धित कोई पट्टा कलक्टर भरतपुर द्वारा जांच में होना नहीं पाया गया है तो उसके लिए उचित फोरम में जाना चाहिए। इसके लिए अदालत हाजा उचित फौरम नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में कलक्टर भरतपुर द्वारा विनिर्दिष्ट निर्णय पारित किया गया है। इसलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित किए गए निर्णय की अपील सुनवाई का किसी भी अधिनियम में प्रावधान नहीं है। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही खारिज की जावे। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 16.10.2017 में इन नियमों का हवाला केवल संदर्भ हेतु ही दिया गया है। इन नियमों के संदर्भ को इस अर्थ में सन्निमित नहीं किया जा सकता है कि रैस्पोडेन्ट ने मूल रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया था तथा जिला कलक्टर ने उसका निर्णय में उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है। जिला कलक्टर के आदेश के पेज नंबर 1 के मद नंबर 2 में की गई टिप्पणी से ही स्व प्रमाणित है कि जिला कलक्टर द्वारा उक्त आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की ओर से पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 की अनुपालना में किया गया है। जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 16.10.17 सिविल

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील संख्या 134 / 2020 त्रिलोक चंद अग्रवाल बनाम शान्ति देवी वगैरहा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

31-01-2023

प्रक्रिया संहिता की धारा 96 (1) जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 208 के प्रभाव से लागू करने योग्य है के प्रावधान के अनुसार उक्त आदेश अपील योग्य नही है। अपीलान्ट की ओर अदालत हाजा में अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की गई है। इस धारा के प्रावधान अपील करने का अधिकार प्रदत्त नहीं करते हैं। वरन् उक्त प्रावधान राजस्व अधिकारियों के पदानुक्रम को विनिर्दिष्ट करते है। जिनके समक्ष इनमें कथित विवादों के विषयानुसार अपील की जा सकती है। विवादित मामले का कोई भी पक्ष सम्बन्धित कानून जिसके अन्तर्गत विवादित विषय आता है तथा अपील करने का अधिकार प्रदत्त करता है, के प्रावधान की अनुपलब्धता एवं अनुपस्थिति में किसी भी निर्णय, आदेश तथा डिक्री के विरूद्ध केवल विषयानुक्रम के आधार पर कानूनी रूप से अपील दायर करने के लिए अधिकृत नही है। जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 16.10.2017 किसी भी कानूनी प्रक्रिया अनुसार पारित नही किया गया है। वरन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रश्नगत भूमि के आवंटन की वैधता को तथ्यों की जांच करके सुनिश्चित किया गया है। जिला कलक्टर ने अपनी जांच में यह पाया कि स्वर्गीय रमेश चन्द तिवारी जिनका रैस्पोडेन्ट नंबर 1 से 8 द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, के पक्ष में दिनांक 15.05.79 को किया गया, प्रश्नगत भूमि का आवंटन विधिमान्य माना गया। उक्त अपील किसी भी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार की अनुपस्थिति में अदालत हाजा के समक्ष मेन्टेनेबल नहीं होने के कारण खारिज की जाने योग्य है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि उक्त अपील इसलिए भी अदालत हाजा में नहीं की जा सकती है, कि जिला कलक्टर द्वारा किसी आदेश या डिक्री जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 222 के अपवादित प्रावधानों अन्तर्गत पारित किया गया हो, के विरूद्ध दायर नहीं की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके अन्तर्गत जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश जो कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में की गई जांच का निष्कर्ष है, के विरूद्ध अपील करने का अधिकार प्रदत्त करता हो। किसी भी विवाद के निवारण के लिए अपील करने का अधिकार मूल दावा करने के अधिकार से भिन्न है। अपील करने का अधिकार किसी भी विवाद से प्राकृतिक तथा अर्न्तनिहित रूप से संलग्नबद्ध नहीं किया जा सकता। जब तक कि किसी भी कानून या नियम जो कि कानून की शक्ति रखता हो तथा विधायिका द्वारा सृजित किया गया हो द्वारा प्रदत्त नहीं किया जावे। अपील करने का अधिकार कानून के द्वारा सृजित होता है तथा कानून से इत्तर स्थापित नहीं हो सकता है तथा विवक्षा तात्पर्य स्वरूप अनुमानित तर्कानुसार ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार ऐसा कोई आदेश जो कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 77 (1)(सी)के प्रावधानों के प्रभाव से स्पष्टतः अंतिम घोषित हो गया हो, के विरूद्ध अपील दायर नहीं की जा सकती है। क्योंकि जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 16.10.2017 उनके आदेश दिनांक 15.05.79 के अनुरूप पारित किया गया है। उक्त प्रकरण लगभग 43 वर्षों से न्यायिक पदानुकमानुसार विभिन्न न्यायिक गलियारों से निर्णित होते हुए वर्ष 1979 से 2017 तक विचरित होते हुए अन्तिमता की श्रेणी में पहुंचा है। अपीलान्ट की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई स्पेशल लीव पिटिशन को भी खारिज कर दिया गया था। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 में दिए गए निर्देशों का सावधानी से पालन करते हुए जांच की है तथा अन्ततोगत्वा इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि स्वर्गीय रमेश चन्द तिवारी के पक्ष में दिनांक 15.05.79 को किया गया भूमि आवंटन वैद्य है। इस

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील संख्या 134/2020 त्रिलोक चंद अग्रवाल बनाम शान्ति देवी वगैरह

तारीख हुक्म	
31-01-2023	प्रकार जिला कलक्टर का आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 77 (1)(सी) के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय है जिसकी अपील नहीं हो सकती है। अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में इस आधार पर अपील पेश की गई है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने जिला कलक्टर की ओर से पारित आदेश से व्यथित होने पर उचित फोरम में जाने की स्वतंत्रता दी है, इसलिए उक्त अपील पेश की गई है। जबकि अदालत हाजा इसके लिए उचित फोरम नहीं है, क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने व्यथित पक्ष को केवल असिस्टेन्ट कलक्टर के आदेश के विरूद्ध उपचार प्राप्त करने का अधिकार दिया है न कि जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध चूंकि जिला कलक्टर द्वारा उक्त आदेश अपने निर्णित करने के मूल क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मूल दावे या याचिका के आधार पर पारित नहीं किया है। वरन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में पारित किया गया है। इसलिए उक्त आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय की खण्डपीठ से कनिष्ठ किसी भी न्यायालय या फोरम को उक्त मामले की सुनवाई का अधिकार प्राप्त नही है। इसके लिए खण्डपीठ से उच्च पीठ या सर्वोच्च न्यायालय ही उचित फोरम है। जहां पर व्यथित पक्ष अपने पक्ष में उपचार प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकता है। वकील रैसपोंडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला कलक्टर भरतपुर को प्रकरण की जांच 3 माह में करने के निर्देश दिए गए थे परन्तु इस जांच में भी 9 वर्ष का समय लगाया गया है। इसी प्रकार न्याय का एक स्थापित सिद्धान्त constructive resjudicata जो कि न्याय साम्य एवं शुद्ध अन्तकरण पर आधारित है, के अनुसार यदि एक पक्ष न्यायोचित तरीके से किसी विवाद में सफल होता है तो उसे उसी विवाद के मुद्दे पर बाहुल्य कानूनी कार्यवाहियों द्वारा परेशान नही किया जा सकता है। उक्त विवाद का विषय पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक पहुंच चुका है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के निर्णय को यथावत रखा है। इसके अलावा 3 माह में किए जाने वाले निर्णय में 9 वर्ष का समय जिला कलक्टर के स्तर पर लगाया गया है अब इसे और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। मूल आवंटन आदेश दिनांक 15.05.79 जिसको जांच के बाद वैद्य ठहराया गया है को 43 वर्ष हो गए हैं, इस आदेश से यदि अपीलान्ट अभी भी व्यथित है तो अपीलान्ट को यह निर्देश दिए जावें कि वह खण्डपीठ से किसी वरिष्ठ उचित न्यायिक फोरम में याचिका दायर करें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपने आदेश दिनांक 11.02.2009 द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर को जांच करने के आदेश दिये गये थे न कि उक्त मामले की सुनवाई मूल वाद या याचिका की तरह न्यायिक कार्यवाही द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये थे। न्यायिक कार्यवाही द्वारा सुनवाई करना कानून रूप से संभव नहीं है क्योंकि मूल वाद या याचिका पहले से ही प्रकरण सन् 1979 का होने के कारण लिमिटेशन कानून के तहत कालातित हो चुका है। मूल विवाद के कारण सन् 1979 में ही उत्पन्न हुआ था तथा इसके पश्चात किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा कभी भी विलंब को कंडोन नही किया गया है। अतः उक्त कानूनी बिन्दु के आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। वकील रैसपोंडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 के आधार पर mere finding है तथा mere finding के आधार पर पारित किए गए आदेश के विरूद्ध अपील दायर नही हो सकती है। इस तरह का सिद्धान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AIR 1974 SC

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 134/2020 त्रिलोक चंद अग्रवाल बनाम शान्ति देवी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
31-01-2023		

पेज 1126 व 1129 पर उद्धित निर्णत में प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार अन्तिम रूप से पारित निर्णय के विरूद्ध अपील दायर करना resjudicata की श्रेणी में आता है। इस तर्क के समर्थन में 2011 DNJ (SC) PAGE 930 पर उद्धरित निर्णय का हवाला दिया। अतः उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर भी अपील अपीलान्ट मेन्टनेबल नहीं है।वकील रैस्पोडेन्ट ने 2011(1) DNJ (SC)) पृष्ठ संख्या 279, AIR 1942 Madras PAGE 73] AIR 1975 Punjab and Harayana पृष्ठ 29 पर उद्धित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि तमेरनकपवंजं के सिद्धान्त के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही व आदेश अपील योग्य नहीं होने पर भी अपील प्रस्तुत किए जाने को न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग माने जाने के साथ–साथ अनावश्यक रूप से वादकरण को बढ़ावा दिया जाना माना गया है। इसलिए उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में भी अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य भी है। वकील रैस्पों0 ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि रैस्पोडेन्ट के पक्ष में वर्ष 1979 में विवादित भूमि का आवंटन किया गया था, जिसे जिला कलक्टर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02. 2009 के कम में की गई जांच के पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2017 के द्वारा रैस्पों0 के पक्ष में कोई आवंटन को वैद्य माना है। इस कारण जिला कलक्टर भरतपुर का आदेश दिनांक 16.10.2017 अन्तिम आदेश हो गया है, को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील नहीं किये जा सकने के संबंध में AIR(29)1942 Bombay page 279 पर उद्धित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया तथा उल्लेख किया कि उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भ–ूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं होने के कारण रैस्पो0 की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति में वर्णित आधारों पर खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलान्ट अदालत हाजा में मेन्टेनेबल नहीं होने के आधार पर खारिज की जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से आधारहीन तथ्यों पर प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किये गये हैं। इन प्रार्थना पत्रों की बहस में भी वकील रैस्पों0 द्वारा बहस में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर अधिक बल दिया गया है तथा बहस के दौरान जो विभिन्न नजीरें प्रस्तुत की गई है, उन नजीरों में वर्णित तथ्य उक्त प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने के कारण इनमें प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि वकील रैस्पोडेन्ट ने प्रारम्भिक आपत्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र व बहस में जिला कलक्टर के निर्णय को प्रशासनिक आदेश मानकर अपील योग्य नहीं होने के कारण अपील खारिज करने की प्रार्थना की गई है। वकील रैस्पोडेन्ट का यह तर्क गलत है क्योंकि उक्त प्रकरण में दो व्यक्तियों के बीच कृषि भूमि के आवंटन का तथ्य तय होना है, जिसका प्रशासनिक आदेश से कोई सम्बन्ध नहीं है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा राजस्थान भूराजस्व (निष्क्रांत कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम 1963 के तहत मामले की सुनवाई कर रैस्पोडेन्ट के हक में हुए आवंटन को सही माना है। उक्त आदेश जनकल्याण के हित में किए गए, उद्देश्य या किसी विशेष कार्य के लिए किया गया स्वप्रेरणा का आदेश नहीं है वरन भूराजस्व अधिनियम के तहत बनाये गए 1963 के नियमों के तहत पारित किया गया है इसलिए उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील

31.1.2023
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	
31-01-2023	अदालत हाजा मे मेन्टनेबल है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि रैस्पा0 की ओर से प्रकरण मे देरी करने के उद्देश्य से अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है। द्वितीय प्रार्थना पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया गया था जिस पर अपीलान्ट की ओर से आपत्ति किये जाने पर अदालत हाजा के आदेश पर हिन्दी रूपान्तर कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इस प्रार्थना पत्र में रैस्पों की ओर से यह आपत्ति की गई है कि जिला कलक्टर ने अपीलाधीन आदेश माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर जांच करने के पश्चात दिया है उनके द्वारा किसी कानूनी प्रावधानों के तहत सुनवाई कर आदेश नहीं दिए जाने के कारण अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील योग्य नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं है। इसी प्रकार यह भी तर्क दिया गया है कि जिला कलक्टर के आदेश मे 1963 के नियमों का हवाला दिया है परन्तु उक्त आदेश उक्त नियमों के अंतर्गत नहीं आते है, तो इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर ने अपीलाधीन आदेश रैस्पोंडेन्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम 1963 के तहत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में विधिवत सुनवाई करने के बाद पारित किया है जिसका उल्लेख अपीलाधीन निर्णय में भी किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह भी राजस्व न्यायालयों में इन्ही नियमों के तहत चली कार्यवाही में पारित निर्णयों को निरस्त करने के बाद दिया गया है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा उक्त नियमों के तहत किए गए कीमतन आवंटन का परीक्षण किया गया है आवंटन के सम्बन्ध में भूमि की कीमत व सनद भी इन्हीं नियमों के तहत जारी की जाती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले को शुरूआत से पुनः देखने हेतु जिला कलक्टर भरतपुर को निर्णय दिनांक 11.02.2009 के द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया था तथा जिला कलक्टर द्वारा भी इन्ही नियमों के तहत परीक्षण कर निर्णय किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्णय में कानून/नियम लिखने की आवश्यकता नहीं थी कि जिला कलक्टर किन नियमों के तहत कार्यवाही करें, क्योंकि पूर्व में जिन नियमों के तहत आवंटन की कार्यवाही की गई थी उन्हीं के तहत परीक्षण कर जिला कलक्टर को निर्णय देना था। अतः रैस्पोडेन्ट का यह कथन की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मात्र जांच का आदेश देने को कहा है किसी कानून के अन्तर्गत नहीं आता है पूर्ण रूप से गलत है। रैस्पों0 की ओर से प्रकरण में बार-बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इसे लम्बा किया जा रहा है। इसलिए रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किया जा कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में जो भी नजीरें पेश की गई है उनमें प्रतिपादित सिद्धान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2017 प्रशासनिक आदेश नहीं होकर रैस्पोडेन्ट के पक्ष में निष्क्रान्त कृषि भूमि के आवंटन नियम 1963 के प्रावधानों के तहत रैस्पोडेन्ट को किए गए तथाकथित आवंटन के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 की पालना में किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की ओर से पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 में ही यह उल्लेख किया गया है कि जिला कलक्टर की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध व्यथित पक्षकार उचित फोरम में जा सकते है, चूंकि जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील अदालत हाजा में पोषणीय है इसलिए उक्त आदेश के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। उक्त प्रकरण में resjudicata के प्रावधान भी लागू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 134/2020 त्रिलोक चंद अग्रवाल बनाम शान्ति देवी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
31.01.2023		

नहीं होते है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में निर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में अपील पेश
नहीं कर जिला कलक्टर भरतपुर के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम बार अपील
पेश की गई है। अतः वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत resjudicata के सिद्धान्त से
सम्बन्धित नजीरें उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। इसी प्रकार एक ही प्रकरण में
अलग-अलग अपील/वाद विचाराधीन होने पर वाद की बहुलता मानी जाती है,
जबकि उक्त प्रकरण में अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील के अलावा अन्य कोई वाद या
अपील किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। जहां तक जिला कलक्टर भरतपुर
की ओर से आदेश पारित करने में 9 वर्ष का समय लगने व प्रकरण 43 वर्ष पुराना
होने के आधार पर अपील मेन्टनेबल नहीं होने का प्रश्न है तो उक्त तर्क भी मानने
योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त समय निर्धारित प्रक्रिया की पालना करने में लगा है तथा
इस आधार को अपील के मेन्टनेबल नहीं होने का कारण नहीं माना जा सकता है।
इसके अलावा उक्त प्रकरण में नगर परिषद का पक्ष भी सुना जाना था, परन्तु जिला
कलक्टर द्वारा नगर परिषद का कोई पक्ष भी नहीं सुना गया। इस कारण जिला
कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 माननीय राजस्थान उच्च
न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 में दिये गये निर्देशों
की पूर्ण पालना करते हुए नहीं दिया गया है। इसके अलावा जिला कलक्टर द्वारा
पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 राजस्थान भू-राजस्व (निष्कांत कृषि भूमि का स्थायी
आवंटन) नियम 1963 के तहत पारित किया गया है। जिसका उल्लेख अपीलाधीन
निर्णय में भी किया गया है। राजस्थान भू-राजस्व (निष्कांत कृषि भूमि का स्थायी
आवंटन) नियम 1963 संबंधी नियम राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 261
सहपठित धारा 101 व 102 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 34
के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित दी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग
करते हुए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं, इसलिए उक्त नियमों के तहत
पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील भी राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की
धारा 75 के तहत अदालत हाजा में पोषणीय है इसलिए रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत
प्रारम्भिक आपत्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र निराधार होने के कारण खारिज किया जावे
तथा प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय किया जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील रैस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि राजस्थान भू-राजस्व
(निष्कान्त कृषि भूमि स्थायीआवंटन) नियम 1963 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील
किए जाने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। अपीलान्ट द्वारा जो अपील अदालत
हाजा में पेश की गई है वह राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के
तहत पेश की गई है जबकि जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश उक्त नियमों के
अन्तर्गत पारित नहीं किया गया है। इसके अलावा सी.पी.सी के आदेश 11 के तहत भी
उक्त अपील अदालत हाजा में पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। अतः
अपील अपीलान्ट प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर खारिज की जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्रों पर
रैस्पोडेन्टस व अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा मनन किया
गया। वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीरों का अवलोकन किया गया।
उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से दो अलग-अलग प्रार्थना पत्र अपीलान्ट की ओर
से प्रस्तुत अपील अदालत हाजा में पोषणीय नहीं होने के कारण प्रारम्भिक आपत्ति के
आधार पर खारिज किए जाने के प्रस्तुत किए गए हैं। इन प्रार्थना पत्रों में माननीय
राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल अपील नंबर 113/1997 पारित निर्णय दिनांक
11.02.2009 में दिए गए निर्देशों की पालना में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा परीक्षण व
जांच करने के बाद पारित किए जाने व इस आदेश से किसी भी पक्षकार के व्यथित

31.1.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अपील संख्या 134/2020 त्रिलोक चंद अग्रवाल बनाम शान्ति देवी वगैरह

तारीख हुक्म	
31-01-2023	होने पर उचित फोरम के समक्ष ले जा सकने का उल्लेख करते हुए अदालत हाजा मे अपील मेन्टनेबल नहीं होने का लिखा गया है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत नहीं होकर जांच के पश्चात प्रशासनिक निर्णय पारित किए जाने व उक्त जांच भी भू-राजस्व अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत नहीं किए जाने का उल्लेख किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर भरतपुर को किसी विशेष एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों या किसी विशेष अधिनियमों के प्रावधानों के तहत जांच नहीं करने के निर्देश दिए हैं। जांच प्रारम्भ करवाने के लिए रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 65/2009 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत प्रस्तुत नहीं किए जाने की प्रारम्भिक आपत्ति की गई है। प्रारम्भिक आपत्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि अपीलान्ट जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 से परिवेदित है तो उन्हें खण्डपीठ की उच्चपीठ अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहिए। अदालत हाजा जो माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की कनिष्ठ न्यायालय है को अपील सुनने का अधिकार नहीं है। जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 की पालना में जांच व परीक्षण करने के बाद पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि जिला कलक्टर के अपीलाधीन आदेश में वर्णित तथ्य से भी होती है। उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अपील नहीं हो सकने का वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा तर्क दिया गया है। उक्त मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.1996 व खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में पारित किए जाने के कारण उक्त निर्णय अन्तिम रूप से निर्णित होने के कारण अपील मेन्टनेबल नहीं होने का तर्क भी वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा दिया गया है। दूसरी ओर वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब में जिला कलक्टर की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 राजस्थान भू राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम 1963 के तहत जारी किए जाने व उक्त नियम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त शक्तियों के तहतहोने के कारण अदालत हाजा में राज0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अपील मेन्टनेबल होने का तर्क दिया गया है। उक्त प्रकरण में मुख्य बिन्दु वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत हाजा में भू राजस्व अधिनियम में 1956 की धारा 75 के तहत अपील मेन्टनेबल नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को निस्तारित किए जाने से सम्बन्धित है। जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश रैस्पोडेन्ट की ओर से राजस्थान भू राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन) नियम 1963 की धारा 5 व 7 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 में दिए गए निर्देशों की पालना में सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत हुए दस्तावेजात व तथ्यों का विधिवत परीक्षण व जांच करने के बाद उक्त आदेश पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.17 किसी अधिनियम में वर्णित प्रावधान के तहत पारित नहीं कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.96 व खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 की पालना में पारित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने आदेश दिनांक 11.02.2009 में

31-01-2023 यह भी उल्लेख किया है कि यदि कोई भी पक्षकार जिला कलक्टर के आदेश से व्यथित है तो सम्बन्धित पक्षकार नियमानुसार उचित फोरम में जा सकेगा। वकील अपीलान्ट यह साबित करने में असमर्थ रहे हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 की पालना में जारी आदेश की अपील अदालत हाजा में किस आधार पर पोषणीय है। जहां तक राजस्थान भू राजस्व निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थायी आवंटन नियम 1963 के तहत जारी किए गए आदेश के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अपील पेश किये जा सकने का प्रश्न है तो उक्त नियमों में यह कहीं भी प्रावधान नहीं है कि जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेश की अपील अदालत हाजा में की जा सकेगी। उक्त नियमों के नियम 6(7) में यह प्रावधान है कि यदि आवंटन/विनियमतीकरण कपट या दुर्व्यप्रदर्शन द्वारा प्राप्त किया गया हो या यह नियमों के विरूद्ध किया गया हो तो जिला कलक्टर को परगना अधिकारी द्वारा किये गए आवंटन/विनियमतीकरण को या तो एक प्रस्ताव से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति प्राप्त होगी, इसके परन्तुक में यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर (प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला) कोई भी ऐसा आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का एक अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा। परन्तु 1963 के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिला कलक्टर की ओर से जारी इस तरह का आदेश अपील योग्य है तथा ऐसे आदेश के विरूद्ध अदालत हाजा में की जा सकेगी। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई अपील अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं है। इसी प्रकार वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित नजीर AIR 1974 SC page 1126 व 1129 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त की किन्ही नियमों के तहत पारित किए गए आदेश/डिक्री के विरूद्ध अपील तभी की जा सकेगी जबकि सी.पी.सी के आदेश 43 नियम 1 के तहत अपील प्रावधित हो। जांच के आधार पर दिए गए निष्कर्ष के विरूद्ध अपील मेन्टनेबल नहीं है। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.1996 व खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 मे दिए गए निर्देशों की पालना में प्रकरण का परीक्षण व जांच करने के बाद उमतम पिदकपदह दी गई है। इसलिए उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील योग्य नहीं है। इसी तरह वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में वर्णित अन्य नजीर यथा 2011 DNJ (SC) page 279, 2011 DNJ (SC) page 930 जो कि सी.पी.सी की धारा 11 में वर्णित प्रावधान तमेरनकपवंजं से सम्बन्धित है, में प्रतिपादित सिद्धान्तों से हम सादर सहमत हैं, परन्तु हमारी विनम्र राय में इस बिन्दु को अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार करते वक्त देखा जाना उचित होगा। वकील रैसपोडेन्ट द्वारा बहस में वर्णित अन्य नजीर यथा AIR 1942 Madras page 73] AIR 1975 Punjab and Harayana पृष्ठ 29 o AIR 1942 Bombay page 279 पर उद्धरित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं है, क्योंकि विद्वान जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पालना में जांच और परीक्षण करने के बाद पारित किया गया है। यदि अपीलान्ट जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.10.17 से व्यथित है तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.09में दिए गए इन निर्देशों कि यदि जिला कलक्टर के आदेश से कोई

हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज

अपील संख्या 134/2020 त्रिलोक चंद अग्रवाल बनाम शान्ति देवी वगैरहा

तारीख हुक्म	
31-01-2023	पक्षकार व्यथित महसूस करता है तो उचित उपचार हेतु उचित फोरम में जा सकेगा। इससे स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की ओर से पारित निर्णय की पालना में जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उचित फोरम में जाना चाहिए, जो कि वकील रैस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों व बहस में वर्णित नजीरों के आधार पर न्यायालय हाजा नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2022 व 06.12.2022 स्वीकार किये जाकर अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई अपील को निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये बिना उक्त अपील भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं होने के आधार पर खारिज की जाती है। अपीलान्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2009 में दिए गए निर्देशों के तहत जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 के विरूद्ध समुचित उपचार हेतु उचित फोरम में जाने हेतु स्वतंत्र हैं। निर्णय लिखया जाकर आज दिनांक 31.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 2023 (सॉवर मल वर्मा) संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर